है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17.7.'23 को पेश हो।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

17.7.'23 प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया हैं कि अधीनस्थ उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रस्तुत कर आवासीय मकान से पुत्र व पुत्रवधु को बेदखल करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण की ओर से उक्त आवेदन–पत्र दिनांक 10.09.2021 को प्रस्तुत हो जाने के बाद अभी तक पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा करने के लिये दबाव बनाया जा रहा हैं। अधीनस्थ अधिकारी पूर्णतया अप्रार्थीगण के प्रभाव में है तथा आवेदन–पत्र पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रहे है। ऐसे में अधीनस्थ अधिकारी से प्रार्थीगण को न्याय की कोई उम्मीद नहीं हैं लिहाजा प्रकरण अन्यत्र अधिकारी को स्थानान्तरित करने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप उठाया गया है उनका स्थानान्तरण हो चुका हैं तथा अब यह प्रार्थना–पत्र महत्वहीन हो जाने से खारिज योग्य हैं।

हमने दोनो पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से पाया जाता हैं कि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.09.2021 को भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र सं. 02/2021 प्रस्तुत किया गया था जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ हैं। यद्यपि प्रार्थीगण द्वारा इस स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र में जिस पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप उठाये हैं उनका स्थानान्तरण हो चुका हैं तथा यह प्रार्थना–पत्र निष्फल (infructuous) हो गया हैं, किन्तु इसके बावजूद भी अधिनियम में यथाविहित समय में आवेदन–पत्र का निस्तारण नहीं करने से अधिनियम की मंशा ही समाप्त हो जाती हैं।

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र प्रकट परिस्थितियों अनुसार निष्फल (infructuous) हो जाने से खारिज किया जाता हैं। अधीनस्थ उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बायतु को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र में छोटी–छोटी पेशियां नियत करते हुए शीघ्र सुनवाई सम्पन्न करते हुए प्रकरण का 1 माह के भीतर–भीतर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों। आदेश की प्रति पालनार्थ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हों।

जिला कलक्टर
बाड़मेर